जिला कोषागार, मधेपुरा।

पत्रांक .....

प्रेषक,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक .....।

विषय :– NPS के अन्तर्गत विलंबित फंड अंतरण पर ब्याज भुगतान के संबंध में।
प्रसंग :– वित्त विभाग के पत्रांक 1075/वि0 दिनांक 23.11.2016
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से सूचित करना है कि वैसे अंशदाता जिनकी नियुक्ति 01.09.2005 या उसके बाद हुई है उनको दिनांक 01.09.2005 से 31.03.2010 तक की अवधि का फंड अंतरण पर सामान्य भविष्य निधि की दर से ब्याज भुगतान किया जाना है। इस हेतु पूर्व में भी वित्त विभाग द्वारा सूचना प्रकाशित किया गया था लेकिन आदिनांक किसी भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि वित्त विभाग के प्रासंगिक पत्रों का अवलोकन करते हुए यथाशीध्र वांछित कागजात उपलब्ध कराया जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

कृप्या इसे अति आवश्यक समझा जाय।

अनु0– यथावर्णित।

विश्वासभाजन

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 994 / मधेपुरा, दिनांक 28.11.16

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सभी संबंधितों को ई–मेल करने एवं जिला के बेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28.11.16

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
मधेपुरा।

अमित कुमार
23.11.16

पत्र संख्या-वि0(27) पे0को0(NPS) 61/2016 1075 /वि0

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक, पटना दिनांक 23/XI/16

सचिव (व्यय),
वित्त विभाग ।

सेवा में,

निदेशक,
भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना ।
सभी कोषागार पदाधिकारी/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी,बिहार ।

विषय- NPS के अंतर्गत विलंबित फंड अंतरण पर ब्याज भुगतान के संबंध में ।

प्रसंग- वित्त विभागीय परिपत्रांक-677 एवं 678, दिनांक-14.05.2013 एवं 16 दिनांक-06.01.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन परिपत्रों के माध्यम से NPS के अंतर्गत विलंबित फंड अंतरण पर सामान्य भविष्य निधि की दर से ब्याज भुगतान का उपबंध करते हुए आपको तत्संबंधी विस्तृत प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं । लेकिन बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि इतने महत्वपूर्ण मामले में कोषागार/भविष्य निधि कार्यालय से कृत कार्रवाई की सूचना अब तक अप्राप्त है । भविष्य में कभी भी इस मामले में न्यायिक वाद का सामना करना पड़ सकता है ।

अतः अनुरोध है कि वित्त विभाग के प्रासंगिक पत्रों का अवलोकन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन के रूप में ब्याज गणना एवं इसके फंड अंतरण के संबंध में एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन अविलंब वित्त विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय) ।
22-11-16